


अपठ  
रूपनगाढ़ ( )

२२-१२-२२ वकील पार्थी की ओर से परावली तलब  
कर विद्रो किये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश  
करने पर परावली तलब की गयी परावली  
का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील  
पार्थी को सुना गया।

चूंकि मूल वाद को विद्रो करने की  
अनुमति दी जा चुकी है। अतः पार्थी या  
का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता  
है।

परावली फैंसल सुमार हो कर मम्बर  
से कम हो।

  
अपठ अधिकारी  
रूपनगाढ़ (अजमेर)

